रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2007.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 12 मार्च, 2008 / 22 फाल्गुन, 1929

हिमाचल प्रदेश सरकार

[Authoritative English Text of this Department Notification No. EXN-F(1)-5/99 dated 5th March,2008 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

EXCISE NAD TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th March, 2008

No. EXN-F (1)-5/99.— In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 58 of the Punjab Excise Act, 1914 (1 of 1914) as in force in the territories comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November,1966 and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order the following amendment in the Himachal Pradesh Intoxicants License and Sale Orders,1965, notified vide Department Notification No. 1-17/64-E&T, dated 2-9-1965 as amended from time to time with immediate effect:-

1. *Short title and Commencement.*— (1) These orders may be called the Himachal Pradesh Intoxicants License and Sale (Amendment) Orders,2007.

(2) They shall come in to force at once.

2. *Amendment of.*— In the Himachal Pradesh Intoxicant License and order 8. Sale Orders, 1965(hereinafter referred to as the 'Said orders'), for order 8, the following shall be substituted, namely:-

> "for the purposes of sub-section (2)of Section 35 of the Act, the Collector shall obtain No objection certificate from the Deputy Commissioner, Superintendent of Police and Panchayat, Nagar Panchayat, Municipal Committee, Municipal Corporations, as the case may be;

Provided that the State Government may for reasons to be recorded in writing dispense with the requirement of obtaining the No objection certificate in respect of any license or class of licenses, as it may consider appropriate."

3. *Omission of orders.*— The existing Orders 9,10,11,12 and 13 of the said 9,10,11,12 and 13.orders shall be omitted.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 5 मार्च, 2008

संख्याः ई0एक्स0एन–एफ(1)–5 / 99.– हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब एक्साईज एक्ट, 1914 (1914 का 1) की धारा 58 की उप–धारा (2) के खण्ड (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 1–17 / 64– ई0 एण्ड0 टी0, तारीख 2–9–1965 द्वारा अधिसूचित और समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश इन्टॉक्सीकैन्ट लाइसैन्स एण्ड सेल आर्डरज, 1965 में तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करने का आदेश देते है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–** (1) इन आदेशों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, इन्टॉक्सीकैन्ट लाइसैन्स एण्ड सेल (संशोधन) आर्डरज, 2007 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होगें।

2. **आर्डर 8 का संशोधन.–** हिमाचल प्रदेश इन्टॉक्सीकैन्ट लाइसैन्स एण्ड सेल आर्डरज, 1965 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आर्डरज कहा गया है), के आर्डर 8, के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

> "for the purposes of sub-section (2)of Section 35 of the Act, the Collector shall obtain No objection certificate from the Deputy Commissioner, Superintendent of Police and Panchayat, Nagar Panchayat, Municipal Committee, Municipal Corporations, as the case may be;

Provided that the State Government may for reasons to be recorded in writing dispense with the requirement of obtaining the No objection certificate in respect of any license or class of licenses, as it may consider appropriate."

3. आर्डरज 9,10,11,12 और 13 का लोप किया जाएगा.– उक्त आर्डरज के विधमान आर्डरज 9,10,11,12 और 13 का लोप।

आदेश द्वारा,
हस्ता / –
प्रधान सचिव।

वहुउद्धेशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

29 फरवरी, 2008

संख्या : विद्युत.–छ–(5)–24 / 2007.– यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि मै0 टांगनू रोमाई पावर जैनरेशन प्रा0 लि0 905, नवम् मंजिल, कंचन जंगा बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड़, कनाट प्लेस, नई दिल्ली–110001 जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत एक कम्पनी है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल जांगलिक, तहसील चड़गांव, जिला शिमला, हि0प्र0 में टांगनू रूमाई–II जल विद्युत परियोजना (6 मे0 वा0) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितवद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू–अर्जन समाहर्ता–एवं–उपमण्डाधिकारी (नागरिक), रोहडू, जिला शिमला हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसर नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)
शिमला	चड़गांव	जांगलिक	352	00–06–80
			353	00–07–83
			409	00–42–74
			410	00–00–63
			420 / 1	00–06–24
			422	00–05–07
			423	00–14–11
			424	00–04–20
			425	00–01–08

426	00–04–34
427	00–02–44
429 / 1	00–02–94
430	00–02–62
434	00–02–16
431	00–19–31
किता–15	रकवाः 01–22–51 हैक्टेयर

आदेश द्वारा,
हस्ता / –
प्रधान सचिव।

———————

लोक निर्माण विभाग

शुद्धि पत्र

शिमला–2, 4 मार्च, 2008

संख्याः पी0बी0डब्ल्यू0(वी0)एफ0(5)353 / 2007.– इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांकः 17.1 2008 जो गांव भूलन की सडक के किनारे की नाली के निर्माण नूरपुर, जिला कांगडा में भूमि अर्जित करने हेतु, भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के अन्तर्गत जारी की गई थी, में गांव पर जसूर पढ़ा जाए।

आदेश द्वारा,
हस्ता / –
सचिव।

———————

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला–2, 1 मार्च, 2008

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)ए0–(7) 1–115 / 2006.– यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव जाबल जमरोट, तहसील व जिला सोलन में सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र बीघा–बिस्वा
सोलन	सोलन	जाबल जमरोट	579 / 1	0–5
			391 / 1	0–19
			398 / 1	0–1
			399 / 1	0–6
			402 / 1	0–5
			670 / 1	0–4
			672 / 1	0–5
			674 / 1	0–5
			678 / 1	0–1
			677 / 1	0–4
			661 / 1	0–1
			1073 / 679 / 1	0–1
			1074 / 679 / 1	0–3
			680 / 1	0–1
			653 / 1	0–12
			652 / 1	0–5
			741 / 1 / 1	0–5
			599 / 1	0–4
			588 / 1	0–10
			592 / 1	0–13
			593 / 1	0–10
			598 / 1	0–6
			583 / 1	0–1
			643 / 1	0–5
			636 / 1	0–5
			602 / 1	0–6
			601 / 1	0–9
			640 / 1	0–17
			644 / 1	0–8
			578 / 2 / 2 / 1	0–12
			578 / 1 / 1	0–2
			584 / 1	0–5
		कुल जोड	किता–32	9–16

शिमला–2, 1 मार्च, 2008

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)ए0–(7) 1–116 / 2006.– यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव सुजनी, तहसील व जिला सोलन में सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता

लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र बीघा–बिस्वा
सोलन	सोलन	सुजनी	189 / 1	0–4
			192 / 1	0–9
			193 / 1	0–3
			194 / 1	0–2
		कुल जोड	किता–4	0–18

शिमला–2, 1 मार्च, 2008

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)ए0–(7) 1–101 / 2006.– यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव बरावरी, तहसील व जिला सोलन में सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र बीघा–बिस्वा
सोलन	सोलन	बरावरी	971 / 582 / 1	1–4
			590 / 1	0–17
			885 / 597 / 1	0–6
			598 / 1	0–5
			599 / 2 / 1	0–14
			608 / 1	0–8
			972 / 887 / 607 / 1	0–5
			975 / 617 / 1	0–5

			976 / 618 / 1	0–10
			626 / 1	0–9
			624 / 1	0–3
			625 / 1	0–8
			640 / 1	0–5
			986 / 649 / 1	0–1
			641 / 1	0–2
			647 / 1	0–5
			648 / 1	0–8
			651 / 1	0–10
			655 / 1	0–9
			654 / 1	0–1
			657 / 1	0–8
			660 / 1	0–2
			659 / 1	0–2
			668 / 1	0–9
			675 / 1	0–5
			679 / 1	0–7
			680 / 1	0–6
			681 / 1	0–1
			683 / 1	0–6
			684 / 1	0–6
			686 / 1	0–3
			694 / 1	0–6
			688 / 1	0–6
			716 / 1	1–2
			726 / 1	0–7
			723 / 1	0–9
		कुल जोड	किता–36	13– 0

शिमला–2, 4 मार्च, 2008

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ0–(5)284 / 2007.– यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव मगर, तहसील सदर, जिला मण्डी में मगर पाधरू सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम,1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग (मध्य क्षेत्र)मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (मध्य क्षेत्र) मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	बीघा–बिस्वा
मण्डी	सदर	मगर / 278	24 / 1	1–6–02
			24 / 2	0–4–02
		कुल जोड	किता–2	1–10–04

आदेश द्वारा,
हस्ता / –
सचिव।

————————

शिमला–2, 31 अक्तूबर, 2007

संख्याः पी.बी.डब्लयू(बी)ए;(7)1–147 / 2000.– यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव फाटी ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू में लोरन समालंग वाया खलाडानाला सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि, उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मध्य क्षेत्र मण्डी को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मध्य क्षेत्र, मण्डी के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र बीघा–बिस्वा
कुल्लु	कुल्लू	फाटी ढालपुर	781/1	0–6–0
			786/1	0–7–12
		कुल योग	किता –2	0–13–12

आदेश द्वारा,
हस्ता/–
प्रधान सचिव।

HOME (PROSECUTION) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th March, 2008

No. Home (Prose.)B(2)3/03.— In pursuance of sub-para-1 of para-1 of this Department notification of even number dated 1.12.2007, the Governor Himachal Pradesh, is pleased to order that services of Shri Vikas Dhaulta, Assistant District Attorney (Class-I Gazetted), shall stand terminated with effect from the date of expiry of period of one month notice from the date of issue of this Notification.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

श्रम विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला–171001

No. 11-6/85(Lab) I.D./07-Shimla.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Smt.Kamal W/O Shri Sukh Dev, Shobha Ram building ,Near D.A.V. Public School,New Shimla-9 V/S Principal, D.A.V. Public School, Phase-II, Sector-IV, Below B.C.S.-IV,New Shimla-9. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the Principal, D.A.V. Public School Phase-II, Sector-IV, Below B.C.S., New Shimla- 9 to terminate the services of Smt. Kamal W/O Shri Sukh Dev workman w.e.f. 23-08-2005 on the basis of domestic enquiry and without complying the provisions of the Industrial Disputes Act,1947 is proper and justified ? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

————————

शिमला–171001

संख्या :11-6/85(Lab)ID/ 07-Shimla.– अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Dila Ram S/O Shri Devi Ram, Village Seriya, P.O. Mangoo, Tehsil Arki, District Solan, H.P. V/S Divisional Forest Officer, Kunihar, Forest Division, Kunihar, District Solan, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या :19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Shri Dila Ram S/O Shri Devi Ram workman by the Divisional Forest Officer, Kunihar, Forest Division, Kunihar, District Solan, H.P w.e.f. 10-09-2004 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-6/85(Lab)ID/ 07-Shimla.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Shiv Shanker S/O Shri Ram Sumiran, C/O Baba Shri Chander Mandir, Ram Bazar, Shimla, H.P. V/S The President, Sood Sabha, Ram Mandir Complex, Ram Bazar, Shimla, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विश्य पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Shri Shiv Shanker S/O Shri Ram Sumiran workman by the President, Sood Sabha, Ram Mandir Complex, Ram Bazar, Shimla, H.P. w.e.f. 29-01-2005 on the basis of domestic enquiry is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

————————

शिमला–171001

संख्या :11-1/2000(Lab)ID/ 07-Shimla.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Rewa Dass S/O Shri Nokh Ram, Village Bagh, Pargana Saraj, Tehsil Suni, District Shimla, H.P. V/S Assistant Manager, H.P. State Forest Corporation, Nigam Vihar, Shimla-2. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Shri Rewa Dass S/O Shri Nokh Ram workman by the Assistant Manager, H.P. State Forest Corporation, Nigam Vihar, Shimla-171002 w.e.f. 15-11-1996 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/2000(Lab)ID/ 07-Shimla.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Shyam Lal C/O Shri Sunder Singh Sippy, General Secretary, H.P.P.W.D. and I.P.H. House No.-100/3, Raura Sector-2, Bilaspur, H.P. V/S Divisional Manager, Himachal Road Transport Corporation, Shimla, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Shri Shyam Lal S/O Shri Fattu Ram workman by the Divisional Manager, Himachal Road Transport Corporation, Shimla w.e.f. 29-02-2002 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is proper and justified? If yes, what relief of service benefits the aggrieved workman is entitled as per demand notice (Copy enclosed)?"

————————

शिमला–171001

संख्या :11-6/85(Lab)ID/ 07-Shimla.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Pawan Kumar S/O Shri Chet Ram, Village Ghandal, P.O. Shakrah, Tehsil & District Shimla, H.P. V/S The Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Shri Pawan Kumar S/O Shri Chet Ram from the post of daily waged class-IV employee by the Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla 2 w.e.f. 30-09-1997 without complying with the provisions of Section 25-F, 25-G and 25-H of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified? If not, to what type of service benefits, seniority and compensation the concerned workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-6/85(Lab)ID/ 07-Shimla.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Uma Dass S/O Shri Budhi Singh, Village Bagri, Tehsil Suni, District Shimla, H.P. V/S Assistant Manager, H.P. State Forest Corporation Ltd., Nigam Vihar, Shimla-171002, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Shri Uma Dass S/O Shri Budhi Singh workman by the Assistant Manager, H.P. State Forest Corporation Ltd., Nigam Vihar, Shimla w.e.f. 14-11-1996 is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-6/85(Lab)ID/ 07-Shimla.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Nokh Ram S/O Late Shri Molak Ram, Village Kotli, P.O. Gumma, Tehsil & District Shimla, H.P. V/S (1) The Executive Engineer, I.&P.H. Division Chaura Maidan, Shimla-4. (2) Sub Divisional Officer I.&P.H. (Machanical), Gumma, Tehsil & District Shimla, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Shri Nokh Ram S/O Late Shri Molak Ram workman by the (1) Executive Engineer, I.&P.H. Division Chaura Maidan, Shimla-4. (2) Sub Divisional Officer I.&P.H. (Machanical), Gumma, Tehsil & District Shimla, H.P. w.e.f. 01-12-1998 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 whereas juniors to him are retained by the employer is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/12(Lab)ID/ 06-Theog.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Roshan Lal S/O Shri Budhi Singh, Village Labrog, P.O. Tharoch, Tehsil Ghopal, District Shimla, H.P. V/S Divisional Manager, H.P. State Forest Corporation Limited, Forest Working Division, Chopal, District Shimla, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Shri Roshan Lal S/O Shri Budhi Singh workman by the Divisional Manager, H.P. State Forest Corporation Limited, Forest Working Division, Chopal, District Shimla, H.P w.e.f. 15-05-97 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, as alleged by the workman is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

————————

शिमला–171001

संख्या :11-1/95(Lab)ID/ 07-Rampur.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Maya Ram S/O Shri Udup Ram, Village & P.O. Sangla, District Kinnaur, H.P. V/S The Executive Engineer, I.& P.H. Division, Rekong Peo, District Kinnaur, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विशय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the Executive Engineer, I.& P.H. Division, Rekong Peo, District Kinnaur, H.P to give break in service to Shri Maya Ram S/O Shri Udap Sain workman during his service period time and again and finally terminated w.e.f. 30-09-05 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas junior to his are retained by the employer as alleged by the workman is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/95(Lab)ID/ 07-Rampur.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Govind Singh S/O Shri Bir Singh Dass, Village & P.O. Sangla, District Kinnaur, H.P. V/S The Executive Engineer, I.& P.H. Division, Rekong Peo, District Kinnaur, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the Executive Engineer, I.& P.H. Division, Rekong Peo, District Kinnaur, H.P to give break in service to Shri Govind Singh S/O Shri Bir Singh Dass workman during his service period time and again and finally terminated w.e.f. 30-09-05 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas junior to his are retained by the employer as alleged by the workman is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

————————

शिमला–171001

संख्या :11-1/95(Lab)ID/ 07-Rampur.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Jagander Singh S/O Shri Shyam Sukh, Village & P.O. Sangla, District Kinnaur, H.P. V/S The Executive Engineer, I.& P.H. Division, Rekong Peo, District KInnaur, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the Executive Engineer, I.& P.H. Division, Rekong Peo, District KInnaur, H.P to give break in service to Shri Jagander Singh S/O Shri Shyam Sukh workman during his service period time and again and finally terminated w.e.f. 30-09-05 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas junior to him are retained by the employer as alleged by the workman is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/95(Lab)ID/ 07-Rampur.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Kartar Singh S/O Shri Hira Sain, Village & P.O. Shong, Tehsil Sangla, District Kinnaur, H.P. V/S The Executive Engineer, I.& P.H. Division, Rekong Peo, District Kinnaur, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the Executive Engineer, I. & P.H. Division, Rekong Peo, District Kinnaur, H.P to give break in service to Shri Kartar Singh S/O Shri Hira Sain workman during his service period time and again and finally terminated w.e.f. 30-09-05 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas junior to him are retained by the employer as alleged by the workman is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

————————

शिमला–171001

संख्या :11-1/95(Lab)ID/ 07-Rampur.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Dewa Gyalbo S/O Shri Tanzin Negi, Village & P.O. Rakcham, Tehsil Sangla, District Kinnaur, H.P. V/S The Executive Engineer, I.& P.H. Division, Rekong Peo, District Kinnaur, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the Executive Engineer, I. & P.H. Division, Rekong Peo, District Kinnaur, H.P to give break in service to Shri Deva Gyalbo S/O Shri Tanzin Negi workman during his service period time and again and finally terminated w.e.f. 30-09-05 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas junior to him are retained by the employer as alleged by the workman is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/95(Lab)ID/ 07-Rampur.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Bhagtawar Singh S/O Shri Sanam Bir, Village & P.O. Chasu, Tehsil Sangla, District Kinnaur, H.P. V/S The Executive Engineer, I.& P.H. Division, Rekong Peo, District Kinnaur, H.P के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the Executive Engineer, I. & P.H. Division, Rekong Peo, District Kinnaur, H.P to give break in service to Shri Bhagtawar Singh S/O Shri Sanam Bir workman during his service period time and again and finally terminated w.e.f. 30-09-05 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas junior to him are retained by the employer as alleged by the workman is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

————————

शिमला–171001

संख्या :11-1/95(Lab)ID/ 07-Rampur.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Smt. Kalam Zin W/O Shri Dharam Sukh, Village Bargarang, P.O. Sangla, District Kinnaur, H.P. V/S The Executive Engineer, I.& P.H. Division, Rekong Peo, District Kinnaur, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the Executive Engineer, I.& P.H. Division, Rekong Peo, District Kinnaur, H.P to give break in service to Smt. Kalam Zin W/O Shri Dharam Sukh workman during her service period time and again and finally terminated w.e.f. 30-09-05 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas junior to her are retained by the employer as alleged by the workman is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/95(Lab)ID/ 07-Rampur.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Diwan Singh S/O Shri Ram Rakho, C/O General Secretary, C.I.T.U. office Sholding, District Kinnaur, H.P. V/S The Executive Engineer, I.& P.H. Division, Rekong Peo, District Kinnaur, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the Executive Engineer, I. & P.H. Division, Rekong Peo, District Kinnaur, H.P to give break in service to Shri Diwan Singh S/O Shri Ram Rakho workman during his service period time and again and finally terminated w.e.f. 30-09-05 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas junior to him are retained by the employer as alleged by the workman is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

————————

शिमला–171001

संख्या :11-1/95(Lab)ID/ 07-Rampur.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Smt. Sanma Devi W/O Shri Daya Dev, Village Bargarang (Sangla), P.O. & Tehsil Sangla, District Kinnaur, H.P. V/S The Executive Engineer, I.& P.H. Division, Rekong Peo, District Kinnaur, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the Executive Engineer, I. & P.H. Division, Rekong Peo, District Kinnaur, H.P to give break in service to Smt. Sanma Devi W/O Shri Daya Dev workman during her service period time and again and finally terminated w.e.f. 30-09-05 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas junior to her are retained by the employer as alleged by the workman is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/95(Lab)ID/ 07-Rampur.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Lal Sukh S/O Shri Jeeta Sukh, Village & P.O. Kamroo, Tehsil Sangla, District Kinnaur, H.P. V/S The Executive Engineer, I.& P.H. Division, Rekong Peo, District Kinnaur, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the Executive Engineer, I. & P.H. Division, Rekong Peo, District Kinnaur, H.P to give break in service to Shri Lal Sukh S/O Shri Jeeta Sukh workman during his service period time and again and finally terminated w.e.f. 30-09-05 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas junior to him are retained by the employer as alleged by the workman is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

————————

शिमला–171001

संख्या :11-1/95(Lab)ID/ 07-Rampur.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Smt. Bhisham Devi W/O Shri Rajan Bhagat, Village & P.O. Sangla, District Kinnaur, H.P. V/S The Executive Engineer, I.& P.H. Division, Rekong Peo, District Kinnaur, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the Executive Engineer, I. & P.H. Division, Rekong Peo, District KInnaur, H.P to give break in service to Smt. Bhisham Devi W/O Shri Rajan Bhagat workman during her service period time and again and finally terminated w.e.f. 30-09-05 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas junior to her are retained by the employer as alleged by the workman is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/95(Lab)ID/ 07-Rampur.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Tuli Ram S/O Shri Jalab Singh, Village & P.O. Shong, Tehsil Sangla, District Kinnaur, H.P. V/S The Executive Engineer, I.& P.H. Division, Rekong Peo, District Kinnaur, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the Executive Engineer, I. & P.H. Division, Rekong Peo, District KInnaur, H.P to give break in service to Shri Tuli Ram S/O Shri Jalab Singh workman during his service period time and again and finally terminated w.e.f. 30-09-05 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas junior to him are retained by the employer as alleged by the workman is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

————————

शिमला–171001

संख्या :11-1/95(Lab)ID/ 07-Rampur.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Jaheer Singh S/O Shri Ram Chering, Village & P.O. Sangla, District Kinnaur, H.P. V/S The Executive Engineer, I.& P.H. Division, Rekong Peo, District Kinnaur, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the Executive Engineer, I. & P.H. Division, Rekong Peo, District KInnaur, H.P to give break in service to Shri Jaheer Singh S/O Shri Ram Chering workman during his service period time and again and finally terminated w.e.f. 30-09-05 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas junior to him are retained by the employer as alleged by the workman is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/95(Lab)ID/ 07-Rampur.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Jai Pal Singh S/O Shri Chander Singh, Village & P.O. Chansu, Tehsil Sangla, District Kinnaur, H.P. V/S The Executive Engineer, I.& P.H. Division, Rekong Peo, District Kinnaur, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the Executive Engineer, I. & P.H. Division, Rekong Peo, District KInnaur, H.P to give break in service to Shri Jai Pal Singh S/O Shri Chander Singh workman during his service period time and again and finally terminated w.e.f. 30-09-05 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas junior to him are retained by the employer as alleged by the workman is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

————————

शिमला–171001

संख्या :11-1/95(Lab)ID/ 07-Rampur.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Smt. Surti Devi W/O Shri Prem Singh, C/O Genral Secretary, (CITU) Office, Sholding, P.O. Sholding, District Kinnaur, H.P. V/S The Executive Engineer, I.& P.H. Division, Rekong Peo, District Kinnaur, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the Executive Engineer, I. & P.H. Division, Rekong Peo, District Kinnaur, H.P to give break in service to Smt. Surti Devi W/O Shri Prem Singh workman during his service period time and again and finally terminated w.e.f. 30-09-05 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas junior to her were retained by the employer as alleged by the workman is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

शिमला–171001

संख्या :11-1/95(Lab)ID/ 07-Rampur.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Smt. Bhag Mani W/O Shri Daya Ram, C/O Genral Secretary, (CITU) Office, Sholding, P.O. Sholding, District Kinnaur, H.P. V/S The Executive Engineer, I.& P.H. Division, Rekong Peo, District Kinnaur, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the action of the Executive Engineer, I. & P.H. Division, Rekong Peo, District Kinnaur, H.P to give break in service to Smt. Bhag Mani W/O Shri Daya Ram workman during his service period time and again and finally terminated w.e.f. 30-09-05 without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, whereas junior to her were retained by the employer as alleged by the workman is proper and justified? If not, what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

————————

शिमला–171001

No. 11-1/95(Lab) I.D./07-Rampur.— अधोहस्ताक्षरी को यह प्रतीत होता है कि Shri Amar Chand S/O Late Shri Jhinu Ram, Village Shawat, P.O. Virgarh,Tehsl Kumarsain, District Shimla, H.P. V/S The Principal, Delhi Public School, N.J.P.C.Jhakri,Tehsil Rampur, District Shimla, H.P. के मध्य नीचे दिए गए विषय पर औद्योगिक विवाद है।

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(4) के अधीन समझौता अधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई रिपोर्ट पर उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा–5 के अधीन विचार करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी ने निर्णय लिया है कि मामला श्रम न्यायालय / औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णय के लिए भेजने योग्य है।

अतः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः19–8 / 89–श्रम (लूज) दिनांक 7 सितम्बर 1992 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा इस मामले को उक्त अधिनियम की धारा–7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय औद्योगिक अधिकरण हिमाचल प्रदेश को नीचे व्याख्या किए गए विषय पर अधिनिर्णय देने के लिए भेजा जाता है :–

"Whether the termination of services of Shri Amar Chand S/O Late Shri Jhinu Ram ,Ex. Peon vide letter dated 02-09-2005 (copy enclosed) by the Principal, Delhi Public School, N.J.P.C.Jhakri,Tehsil Rampur, District Shimla,H.P. without complying the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legal and justified ? If not, to what relief of service benefits and amount of compensation the above aggrieved workman is entitled to?"

Sd/-
Labour Commissioner.

ब अदालत श्री जय गोपाल गुलेरिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश

श्री चेत राम पुत्र श्री सुख दास, गांव मडग्रां, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र बराए ग्राम पंचायत उदयपुर में जन्म तिथि दरुस्ती करवाने हेतु।

श्री चेत राम पुत्र श्री सुख दास, गांव मडग्रां, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि० प्र०) ने एक आवेदन–पत्र शपथ–पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी का जन्म पैदाईश तिथि ग्राम पंचायत उदयपुर के पैदाईश रजिस्टर में 1944 लिखा गया है जब कि प्रार्थी का जन्म पैदाईश तिथि 31–3–1955 है। प्रार्थी के पिता अनपढ़ व देहाती आदमी होने से ग्राम पंचायत उदयपुर के पैदाईश रजिस्टर में गलत दर्ज कर चुके हैं जिसे प्रार्थी अब अपना पैदाईश तिथि की दरुस्ती करवाना चाहता है।

इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी का जन्म तिथि ग्राम पंचायत उदयपुर के पैदाईश रजिस्टर में दरुस्ती करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 30–3–2008 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताविक शपथ–पत्र उपरोक्त प्रार्थी चेत राम पुत्र श्री सुख दास, गांव मडग्रां का ग्राम पंचायत उदयपुर के अभिलेख में जन्म तिथि दरुस्ती करवाने के आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 20–2–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

जय गोपाल गुलेरिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी उदयपुर,
जिला लाहौल एवं स्पिति (हि० प्र०)।

————

ब अदालत श्री जय गोपाल गुलेरिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश

श्री सुमन चन्द पुत्र श्री परम चन्द, गांव त्रिलोकनाथ, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति।

बनाम

आम जनता

विषय.–प्रार्थना–पत्र बराए ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ में नाम दर्ज करवाने हेतु।

श्री सुमन चन्द पुत्र श्री परम चन्द, गांव त्रिलोकनाथ, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि० प्र०) ने एक आवेदन–पत्र शपथ–पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी को अपनी पत्नी श्रीमती अनिता देवी से एक सन्तान पुत्री शिरेन लहरजे दिनांक 11–5–2007 को पैदा

हुई है जोकि प्रार्थी की दूसरी सन्तान है प्रार्थी नौकरी पेशा होने के कारण अकसर घर से बाहर रहता है जिस कारण अपनी उपरोक्त सन्तान की पैदाईश तिथि ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ उप–तहसील उदयपुर में परिवार रजिस्टर में दर्ज न करवा सका। अब प्रार्थी अपनी उपरोक्त सन्तान का नाम ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ के परिवार रजिस्टर में पंजीकृत कर दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के सन्तान का नाम ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 30–3–2008 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताविक शपथ–पत्र उपरोक्त प्रार्थी के सन्तान का नाम ग्राम पंचायत त्रिलोकनाथ के अभिलेख में पंजीकृत कर दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 20–2–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। जय गोपाल गुलेरिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी उदयपुर,
जिला लाहौल एवं स्पिति (हि० प्र०)।

———————

ब अदालत श्री जय गोपाल गुलेरिया, कार्यकारी दण्डाधिकारी उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति, हिमाचल प्रदेश

श्री वीर सिंह पुत्र श्री नेवल चन्द, गांव मडग्रां, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति

बनाम

आम जनता

विषय.–प्रार्थना–पत्र बराए ग्राम पंचायत उदयपुर में नाम व पैदाईश तिथि दर्ज करवाने हेतु।

श्री वीर सिंह पुत्र श्री नेवल चन्द, गांव मडग्रां, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पिति (हि० प्र०) ने एक आवेदन–पत्र शपथ–पत्र सहित इस अदालत में प्रस्तुत किया जिसमें उसने उल्लेख किया है कि प्रार्थी को अपनी पत्नी श्रीमती चिन्तो देवी से एक सन्तान पुत्री रोहणी दिनांक 1–6–2004 को पैदा हुई है जोकि प्रार्थी की पहली सन्तान है प्रार्थी मजदूरी पेशा होने के कारण अकसर घर से बाहर रहता है जिस कारण अपनी उपरोक्त सन्तान की पैदाईश तिथि ग्राम पंचायत उदयपुर, उप–तहसील उदयपुर में परिवार रजिस्टर में दर्ज न करवा सका। अब प्रार्थी अपनी उपरोक्त सन्तान का नाम ग्राम पंचायत उदयपुर के परिवार रजिस्टर में पंजीकृत कर दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता एवं सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी के सन्तान का नाम ग्राम पंचायत उदयपुर के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने में कोई एतराज हो तो वह इस अदालत में दिनांक 30–3–2008 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा मुताविक शपथ–पत्र उपरोक्त प्रार्थी के सन्तान का नाम ग्राम पंचायत उदयपुर के अभिलेख में पंजीकृत कर दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 20–2–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। जय गोपाल गुलेरिया,
कार्यकारी दण्डाधिकारी उदयपुर,
जिला लाहौल एवं स्पिति (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री अच्छर सिंह ठाकुर, नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

मुकद्दमा नं० 02 / 08 किस्म मुकद्दमा : दरुस्ती नाम तारीख पेशी 26–3–2008

श्री धर्म चन्द पुत्र स्व० श्री भून्डू राम पुत्र वूटा, निवासी गांव व डा० गगल खास, उप–तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.–प्रार्थना–पत्र नाम दरुस्ती :

उपरोक्त प्रार्थी ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय व्यान हल्फी इस आशय से पेश किया है कि पंचायत रिकार्ड में व सर्विस रिकार्ड में उसका नाम धर्म चन्द दर्ज है जो कि दरुस्त है, जबकि महाल गगल के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम पाजी राम दर्ज है। जोकि गलत है। अतः उसका नाम महाल व मौजा गगल में पाजी राम के बजाए धर्म चन्द दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी आम व खास को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26–3–2008 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजर अदालत आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरांत कोई उजर या एतराज मान्य न होगा और प्रार्थना–पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

मोहर। अच्छर सिंह ठाकुर,
नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

————————

ब अदालत श्री अच्छर सिंह ठाकुर, नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

मुकद्दमा नं० 03 / 08 किस्म मुकद्दमा : दरुस्ती नाम तारीख पेशी 26–3–2008

श्री चन्द्र शेखर पुत्र श्री पंताप चन्द, निवासी महाल द्रमण, मौजा पुडवा, उप–तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.–प्रार्थना–पत्र नाम दरुस्ती :

उपरोक्त प्रार्थी ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय व्यान हल्फी इस आशय से पेश किया है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड व स्कूल में चन्द्र शेखर दर्ज है जो कि दरुस्त है, जबकि महाल द्रमण, मौजा पुडवा के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम संजय कुमार दर्ज है। जोकि गलत है। अतः उसका नाम महाल द्रमण के राजस्व रिकार्ड में संजय कुमार के बजाए चन्द्र शेखर दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी आम व खास को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26–3–2008 को प्रातः 10.00 बजे

असालतन या वकालतन हाजर अदालत आकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरांत कोई उजर या एतराज मान्य न होगा और प्रार्थना–पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

मोहर। अच्छर सिंह ठाकुर,
नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

———————

न्यायालय श्री गरीबा राम बन्सल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भराड़ी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री चेंखा, निवासी गांव लौहट, परगना अजमेरपुर, उप–तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बाबत दरुस्ती कागजात माल।

श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री चेंखा, निवासी गांव लौहट, डाकघर लैहड़ीसरेल, परगना अजमेरपुर, उप–तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर (हि० प्र०) ने एक शपथ–पत्र संलग्न करके आवेदन किया है कि उसके पिता स्व० श्री चेंखा राम का नाम ग्राम पंचायत लैहड़ीसरेल के अभिलेख में चेंखा राम पुत्र श्री बरडू तथा ग्राम पंचायत बरोटा के अभिलेख में राम दित्ता पुत्र श्री बरडू दर्शाया है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसके पिता के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में चेंखा राम उर्फ राम दित्ता के रूप में कर दी जावे।

अतः इस नोटिस के जरिए तमाम समस्त जनसाधारण को अवगत किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने पर कोई आपत्ति अथवा उजर होने की स्थिति में सम्बन्ध व्यक्ति अथवा संस्था दिनांक 22–4–2008 को इस न्यायालय में अपना पक्ष असालतन या वकालतन प्रस्तुत करें अन्यथा उपरोक्त आधार पर प्रार्थी के पिता के नाम की प्रविष्टी राजस्व अभिलेख में चेंखा राम उर्फ राम दित्ता के रूप में करने के आदेश कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 25–2–2008 को हमारे हस्ताक्षर एवं मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। गरीबा राम बन्सल,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भराड़ी,
जिला बिलासपुर (हि० प्र०)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री श्याम कुमार पुत्र श्री प्रिया दास, निवासी भगोण, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ...प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री श्याम कुमार पुत्र श्री प्रिया दास, निवासी भगोण, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में शपथ–पत्र सहित दावा दायर किया है कि उसके ताया श्री किशोरी लाल पुत्र श्री नारायण दास, निवासी भगोण की मृत्यु दिनांक 15–4–1961 को गांव भगोण में हुई थी। लेकिन उक्त मृत्यु पंचायत धौण कोठी के अभिलेख में दर्ज न है। अतः अब दर्ज करने के आदेश देने की अनुकम्पा करें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा सभी सम्बन्धियों व आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को श्री किशोरी लाल पुत्र श्री नारायण दास की मृत्यु को पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 22–4–2008 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन / वकालतन अपना उजर / एतराज पेशर कर सकता है। उपस्थित न होने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त मृत्यु को पंचायत अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22–2–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत सहायक सर्माहता, प्रथम श्रेणी सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)

मिसल नं0	गांव	तारीख पेशी
31 / 9 आफ 7	देलग	16–4–08

श्री माली पुत्र श्री बंशी राम, साकन देलग, परगना व तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।

बनाम

1. श्री दुर्गा, 2. श्री चरण दास, 3. श्री लेख राम, 4. श्री गरजा, 5. प्रकाश पुत्रान 6. प्रसीनू बेवा बसी राम, 7. कृष्ण राम, 8. बेसरिया राम, 9. जीत राम पुत्रान, 10. श्रीमती रतनी, 11. निर्मला पुत्रियां, 12. श्री पंचू बेवा प्रभु राम सभी निवासी गांव देलग, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

. .फरीकदोयम।

आवेदन–पत्र जेर धारा 123 हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम निसवत तकसीम किए जाने खाता मुशतरका रकवा तादादी 10–08 बीधा खसरा नं0 551 / 2–554 / 2–398, खाता खतौनी नं0 235 / 250 वाक्या मौजा देलग परगना व तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में भूमि खाता / खतौनी नं0 235 / 250 खसरा नं0 551 / 2–554 / 2–398 तादादी 10–08 बीधा वाक्या मौजा देलग की तकसीम करने के लिए आवेदन–पत्र दायर किया है। उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन जारी किए गए लेकिन तामील तसलीवखश न हो पाई। अतः इस न्यायालय को यह विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण नं0 7 व 10 की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।

अतः उपरोक्त प्रतिवादीगण नं0 7 व 10 को इस इश्तहार राजस्व द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 16–4–08 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की

पैरवी कर सकते हैं न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरान्त कोई भी एतराज कावले समायत न होगा।

आज दिनांक 19–2–08 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी)।
सदर जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

————

In the court of Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Kamal Kishore s/o Shri Krishan Lal, r/o Village Dakri, P. O. & Tehsil Gumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh.

2. Kanchan d/o Shri Surender Pal Sukla, r/o village Sadag, P. O. Kuthera, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act, 01) (49 of 2001).

Kamal Kishore s/o Shri Krishan Lal, r/o Village Dakari, P. O. Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh and Kanchan d/o Shri Surender Pal Sukla, r/o Village Sadag, P. O. Kuthera, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavit in the Court of under signed under 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act, 01 (49 of 2001) that they have solemnized their marriage on 5-12-2004 at Kuthera, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on before 28 March, 2008 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 14th February, 2008 under may hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
*Marriage Officer-*cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.).

In the court of Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh**

In the matter of:—

1. Kamal Dev s/o Shri Mahant Ram, r/o Village Kasaru, P. O. Badaghat, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh.

2. Neema Devi d/o Shri Sukra Ram, r/o Village Dalikar-II, P. O. Movi Sevi, Tehsil Chachiot, District Mandi, Himachal Pradesh . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act, 01 (49 of 2001).

Kamal Dev s/o Shri Mahant Ram, r/o Village Kasaru, P. O. Badaghat, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh and Neema Devi d/o Shri Sukra Ram, r/o Village Dalikar-II, P. O. Movi Sevi, Tehsil Chachiot, District Mandi, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavit in the Court of under signed under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act, 01 (49 of 2001) that they have solemnized their marriage on 24-11-2005 at Hanogi Mata Temple. Tehsil Sadar, District Mandi, Himachal Pradesh and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Speical Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on before 25 March, 2008 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 18th Feburary, 2008 under may hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

*Marriage Officer-*cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.).

न्यायालय श्री गरीबा राम बन्सल, कार्यपालक दण्डाधिकारी,उप–तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रकाश सिंह सुपुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव व डाकघर पन्तेहड़ा, परगना अजमेरपुर, उप–तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि को दर्ज करवाने बारे।

श्री प्रकाश सिंह सुपुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव व डाकघर पन्तेहड़ा ने जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत शपथ–पत्र सहित आवेदन करते हुए निवेदन किया है कि उसके पुत्र आशीष कुमार की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं हो पाई है तथा अब वह यह प्रविष्टी करवाना चाहता है जो कि 8–2–2004 है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र आशीष कुमार की जन्म तिथि 8–2–2004 पंचायत अभिलेख में दर्ज करने पर किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22–4–2008 को इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता / सकती है अन्यथा श्री आशीष कुमार सुपुत्र श्री प्रकाश सिंह की जन्म तिथि दिनांक 8–2–2004 की प्रविष्टि सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25–2–2008 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

गरीबा राम बन्सल,
कार्यपालक दण्डाधिकारी,
उप–तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर,
हिमाचल प्रदेश।

———————

न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एवं उप–पंजीकाध्यक्ष सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा शीर्षक :

सर्वश्री बलदेव राम व पुरषोतम राम पुत्र श्री सोहन लाल, निवासी वैरू, डा० थौना, इलाका भदरोता, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र मृतक सान्तिया की वसीयत को पंजीकृत करने बारे।

प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र इस आशय से पेश किया है कि मृतक स्व० सन्तिया पुत्र कहन्हू राम ने अपने पौत्रु बलदेव राम व पुरुषोतम पुत्र सोहन लाल पुत्र सन्तिया के नाम वसीयत तहरीर करवाई है जो कि भारतीय पंजीयन अधिनियम की धारा 40 व 41 के अन्तर्गत वसीयत को पंजीकृत करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया है। सन्तिया पुत्र कहन्हू राम, निवासी वैरू की मृत्यु 25–9–2007 को हो चुकी है।

अतः आत जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त वसीयत बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 3–4–2008 को प्रातः दस बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 16–2–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, एवं उप–पंजीकाध्यक्ष,
सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

————————

न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सरकाधाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एवं उप–पंजीकाध्यक्ष
सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा शीर्षक :

श्री बालम राम पुत्र श्री परमा राम, निवासी रिस्सा, ईलाका भदरोता, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

श्री बालम राम पुत्र श्री परमा राम, निवासी रिस्सा ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि उसकी सगी ताई का नाम पंचायत रिकार्ड में दुर्गी देवी है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उसका नाम गलती से घुघी दर्ज है। प्रार्थी उपरोक्त नाम दरुस्त करवाना चाहता है

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम दरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन हाजर न्यायालय आकर मिति 7–4–2008 को पेश कर सकते हैं। गैरहाजरी की सूरत में कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 20–2–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, एवं उप–पंजीकाध्यक्ष,
सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्रीमती लीला देवी उपनाम रीता देवी पत्नी श्री हंस राज, निवासी कन्दार, डाकखाना खुराहल, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि० प्र०) . . प्रार्थीन।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी।

प्रार्थना–पत्र बाबत जन्म तिथि की दरुस्ती बारा।

प्रार्थीनी श्रीमती लीला देवी उपनाम रीता देवी पत्नी श्री हंस राज, निवासी कन्दार, डाकखाना खुराहल, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि० प्र०) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र इस आशय पर पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि स्कूल प्रमाण–पत्र में 15–6–1977 सही दर्ज है। जबकि उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत वोवर के अभिलेख में गलती से 15–6–1977 के वजाए केवल वर्ष 1977 दर्ज की गई है। अब उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत वोवर के अभिलेख में जन्म तिथि वर्ष 1977 के वजाए 15–6–1977 दर्ज करने के आदेश सचिव ग्राम पंचायत वोवर को दे दिए जाएं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त जन्म तिथि की दरुस्ती बारे किसी को कोई उजर एवं एतराज हो तो वह दिनांक 31–3–2008 को सुबह 10.00 बजे असालतन / वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर सचिव, ग्राम पंचायत वोवर को जन्म तिथि की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25–2–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ता० / –

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

————————

ब अदालत उप–पंजीकाध्यक्ष सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री जोगिन्दर पाल उपनाम गोल्डी पुत्र श्री जगत राम, निवासी जडोल, डाकखाना जडोल, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि० प्र०)

.. प्रार्थी।

बनाम

1. आम जनता, 2. लीला देवी, 3. पवना देवी, 4. लता देवी पुत्रियां श्री जगत राम, 5. श्रीमती जमना देवी पत्नी स्व० श्री जगत राम, निवासीगण जडोल, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

.. प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना–पत्र बाबत पंजीकृत करवाने वसीयत नामा जेर धारा 40–41.

उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थी ने इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र इस आशय पर पेश किया है कि उसके पिता स्व० श्री जगत राम पुत्र श्री टिटू राम, निवासी, जडोल, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि० प्र०) ने अपनी मृत्यु से पूर्व विला पंजीकृत वसीयत दिनांक 12–10–2006 को उसके नाम से करवाई है। अब इस विला पंजीकृत वसीयत को उसके नाम से पंजीकृत करने के आदेश किए जाएं। वसीह श्री जगत राम पुत्र श्री टिटू राम दिनांक 6–11–2006 को फौत हो चुका है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता व प्रार्थीगणों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वसीयत को पंजीकृत किए जाने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 31–3–2008 को प्रातः 10.00 बजे असालतन / वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवीं कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बाद गुजरने मियांद कोई उजर कावले समायत न होगा, और वसीयत पर कार्यवाही मुनासिव होकर वसीयत वहक प्रार्थी के नाम पंजीकृत कर दी जाएगी।

आज दिनांक 25–2–2008 को मेरे हताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ता० / –

उप–पंजीकाध्यक्ष,

सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

————————

ब अदालत उप–पंजीकाध्यक्ष सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री सन्त राम पुत्र श्री फागणू राम, निवासी निचली वैहली, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि० प्र०)

प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता प्रत्यार्थी।

प्रार्थना–पत्र बाबत पंजीकृत करवाने वसीयत नामा जेरधारा 40–41.

उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थीगणों ने इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र इस आशय पर पेश किया है कि उसकी वुआ स्व० श्रीमती छोपली पुत्री श्री नथू राम पुत्र श्री धर्मू, निवासी, डडोह, तहसील सुन्दरनगर ने अपनी मृत्यु से पूर्व विला पंजीकृत वसीयत दिनांक 8–7–2005 को करवाई है। विला पंजीकृत वसीयत में छोपली ने सर्वश्री सन्त राम, ईश्वर दास, देवी राम पुत्र श्री फागणू को एक भाग वास्सिा बरावर, मुरारी लाल गुरदास पुत्रगण मोती राम को एक भाग तथा रमेश कुमार जीवन लाल पुत्रगण राम सिंह को एक भाग अपनी मलकीयती भूमि का दिया है। श्रीमती छोपली दिनांक 11–7–2005 को फौत हो चुकी है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि इस वसीयत को पंजीकृत किए जाने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 24–3–2008 को प्रातः 10.00 बजे असालतन / वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवीं कर सकते हैं। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बाद गुजरने मियांद कोई उजर कावले समायत न होगा, और वसीयत पर कार्यवाही मुनासिव होकर वसीयत वहक प्रार्थीगणों के नाम पंजीकृत कर दी जाएगी।

आज दिनांक 20–2–2008 को मेरे हताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ता० / –

उप–पंजीकाध्यक्ष,

सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

————————

ब अदालत श्री जोगिन्द्र पटियाल, नायव तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी संधोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती तारीख पेशी : 27–3–2008

श्री संजय कुमार पुत्र श्री सुरता, निवासी लोअर घनाला, डाकघर संधोल, उप–तहसील संधोल, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

श्री संजय कुमार पुत्र श्री सुरता, निवासी लोअर घनाला, डाकघर संधोल, उप–तहसील संधोल ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल लसराणा / 6, उप–तहसील संधोल के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम भादर सिंह लिखा गया है जो कि गलत है। मेरा वास्तविक नाम संजय कुमार है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27–3–2008 को सुबह 10 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। वसूरत गैर हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 28–2–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जोगिन्द्र पटियाल,
नायव तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी संधोल,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री जगदीश राम शर्मा, उप–पंजीकाध्यक्ष, जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा :

श्री ज्ञान चन्द पुत्र श्री वीरी सिंह, निवासी आहडू, तहसील जोगिन्द्रनगर

. . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

दरख्वास्त वराए जेर धारा 40–41 भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908.

उपरोक्त मुकद्दमा अदालत हजा में प्रार्थी श्री ज्ञान चन्द पुत्र वीरी सिंह, निवासी आहडू ने आवेदन किया है कि श्रीमती सोमा देवी वेवा श्री हरि सिंह, निवासी आहडू ने अपने जीते–जी पूर्ण होशहबास में अक्स के रोबरु गवाह एक वसीयतनामा अपने भतीजे श्री ज्ञान चन्द के नाम तहरीर करवाया है। अब श्रीमती सोमा देवी की मृत्यु हो चुकी है तथा वसीयतनामा जेर धारा 40–41 भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के अन्तर्गत वराये पंजीकरण पेश किया।

अतः आम जनता को वजरिया इश्तहार हजा सूचित किया जाता है कि इस वसीयत के बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 25–3–2008 को इस अदालत में सुबह 10. 00 बजे अपना एतराज पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 27–2–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जगदीश राम शर्मा,
उप–पंजीकाध्यक्ष, जोगिन्दरनगर,
जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित